

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0
वाद सं.....१५...../2025 दायरा दिनांक : २१/03/2025



प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

मांगीलाल कृ. रामलाल मेघवाल संसर्गरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड राज0

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
२१/३/२५	<p>न्यायालय हाजा में वादी/प्राथी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर परोकार सरकार (तहसीलदार) को प्रकरण जांच हेतु भेजा जावे। बाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक २५/३/२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जज उपखण्ड अधिकारी पिडावा, जिला झालावाड (राज०)</p>	
२५/३/२५	<p>पत्रावली पेश हुई। निर्धारित धारण में प्रतिवादी/परोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। वादी/प्राथी की बहरा के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धाम <u>कोटवाडी</u> की जमाबंदी सं. २०१३-२६ व तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट अनुसार वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में भू प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त किया जाना व्यावहित में आवश्यक है। अतः वादी/प्राथी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। तहसीलदार पिडावा को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से काम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।</p> <p style="text-align: center;"> (दिनेश कुमार मीना) सहायक लेण्ड रिकार्ड अधिकारी एवं जे.टी.ए. अधिकारी, पिडावा पिडावा, जिला झालावाड (राज०)</p>	



रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व / 2025 / 139

दिनांक : 21/3/23

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम बांसखेडी के वादी/प्राधी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्दाज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/ मुयस तहसीलदार

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विद्वावा जिला झालावाड राज०

क्रमांक: राजस्व न्यायालय / 2025 / 74

दिनांक : 24/03/2025

वादी/प्राधी के ग्राम बांसखेडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्दाज को तहसीलदार मुयस की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्दाज को कांशम रं. 8 अनुसार दुरुस्त किया जाना अनिवार्य किया जाता है। तहसीलदार मुयस को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राधी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम रं. 8 अनुसार इन्दाज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करावत करे।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी विद्वावा
जिला झालावाड-राज०
विद्वावा, जिला झालावाड (राज०)

